



अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

दो/निग./रीवा/भू.रा./2018/0209

आनन्दमुनि विरुद्ध लखपति

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-06-2018	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र सिंह स्वयं उपस्थित हुये, उन्हें कायमी पर सुना गया ।</p> <p>2/ अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया । इससे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा नियमों के विपरीत आदेश पारित किया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील में निरस्त किया । अनुविभागीय अधिकारी को अपर आयुक्त ने उचित माना है । अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होता । अतः निगरानी अग्राह्य की जाती है ।</p> <p>3/ पक्षकार सूचित हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	<p>  सदस्य 26/6/18</p>